

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर, दूरभाष एवं फ़ैक्स नं.-0141-2222403)
dlbrajasthan@gmail.com / dlbdda05@gmail.com

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/17/18302

दिनांक :- 4/12/17

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए अधीनस्थ एवं लिपिकवर्गीय संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारियों के प्रशासनिक/कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से पदस्थापन निम्नानुसार किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1.	श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लालचन्द	स्वास्थ्य निरीक्षक	जयपुर	खेतडी
2.	श्री दुर्गाशंकर मौर्य	सहायक राजस्व निरीक्षक	जयपुर	खेतडी
3.	श्री राजाराम चौधरी	लिपिक ग्रेड-11	जयपुर	सुरजगढ

उक्त कर्मचारियों को तुरन्त आज ही कार्यमुक्त कर पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये जावे।

नोट:-

1. स्थानान्तरित कर्मचारियों के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
2. स्थानान्तरित कर्मचारियों का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन का भुगतान किया जावे।
3. यदि कोई कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
4. यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक:- प.1(ग)()का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./17/18303-318 दिनांक:- 4/12/17
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप सचिव, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षै0) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. महापौर/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगरनिगम/पालिका, जयपुर/खेतडी/सुरजगढ
6. संबंधित कर्मचारी.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)
उप निदेशक (प्रशासन)